न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 64 / 2019
तारीख दायर: 14.08.2019

उनवान

1. देबीलाल पिता लक्ष्मण जाति निवासी केसरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
2. कोयल पुत्री लक्ष्मण जाति जाट निवासी केसरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
3. कमला पुत्री लक्ष्मण जाति जाट निवासी केसरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
4. गीता पुत्री लक्ष्मण जाति जाट निवासी केसरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
5. मु0 भेली बैवा लक्ष्मण जाति जाट निवासी केसरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
6. उदयलाल पिता भूरा जाति जाट निवासी केसरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
7. चन्ता पुत्री भूरा जाति जाट निवासी केसरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
8. सुशीला पुत्री भूरा जाति जाट निवासी केसरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
9. सम्पत्ति पुत्री भूरा जाति जाट निवासी केसरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
10. लाड पुत्री भूरा जाति जाट निवासी केसरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
11. सोसरबाई पत्नि भूरा जाति जाट निवासी केसरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
12. बरमा पुत्र रामा जाति जाट निवासी केसरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
13. गोपाल पुत्र रामा जाति जाट निवासी केसरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
14. उदा पुत्र रामा जाति जाट निवासी केसरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
15. श्रवण पुत्र देवा जाति जाट निवासी केसरपुरा तहसील माण्डलगढ़।
16. मथुरा पुत्र देवा जाति जाट निवासी केसरपुरा तहसील माण्डलगढ़।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. निर्मल कुमार पिता नेमीचन्द जाति जैन निवासी मानपुरा तहसील माण्डलगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री देवेन्द्र पोरवाल (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. श्री महेश चन्द्र सुखवाल (अधिवक्ता अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक: 20.10.2020

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सोनियाणा, पटवार हल्का रलायता तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में स्थित आराजी नम्बर 144 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि पर सजबेल ट्रेक्टर आदी लाने ले जाने हेतु ग्राम सोनियाणा से रलायता जाने वाले डामर रोड से होकर आराजी नम्बर 649 / 126, 650 / 126, 681 / 126 के पश्चिमी मेर पर स्थित 50 वर्ष से भी अधिक पुराने रास्ते से होकर विपक्षी संख्या 1 की कृषि भूमि आराजी नम्बर 696 / 126 रकबा 6 बीघा की दक्षिणी मेर पर पहुँचते है। उसके [illegible] 696 / 126 की दक्षिणी मेर पर स्थित कदीमी रास्ते का उपयोग उपभोग [illegible] है। उक्त रास्ता आराजी नम्बर 649 / 126, 650 / 126, 68[illegible] नक्शे में पटवारी हल्का द्वारा स्पष्ट निशान लगाकर [illegible] भी अपनी जमीन [illegible] जाने हेतु इसी कदीमी रास्ते का उपयोग करता आ रहा है। परन्तु दिनांक [illegible]19 को विपक्षी ने बदनियतिपूर्वक अपनी आराजी नम्बर [illegible] / 126 के दक्षिणी मेर [illegible] रास्ते को बन्द कर दिया एवं प्रार्थीगण को अपनी जमीन पर पहुँचना असम्भव हो गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:28:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner

इसलिए विपक्षी की आराजी संख्या 696/126 के दक्षिणी मेर पर 13 फीट चौड़ा (दो गट्ठा) रास्ता घोषित किया जाना न्यायसंगत है। उक्त रास्ते को प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में ए से बी स्थान पर लाल स्याही से दर्शाया गया है।

विपक्षी की रास्ते में जो भी भूमि कटेगी उसका न्यायालय आदेशानुसार प्रतिकर अदा करने के लिए तैयार है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की ग्राम सोनियाणा पटवार हल्का रलायता तहसील माण्डलगढ़ में स्थित आराजी नम्बर 144 पर आने जाने संजबेल ट्रेक्टर आदि लाने जाने हेतु विपक्षी की ग्राम सोनियाणा में स्थित आराजी नम्बर 696/126 के दक्षिणी मेर पर प्रार्थीगण की आराजी तक 13 फीट चौड़ा रास्ता घोषित किए जाने का आदेश प्रदान करावें।

दिनांक 23.10.2019 को विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

दिनांक 09.01.2020 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 जाप्ता दीवानी विपक्षी निर्मल कुमार पिता नेमीचन्द जैन निवासी मानपुरा की ओर से पेश किया गया कि दिनांक 23.10.2019 को तारीख पेशी नियत थी। तारीख पेशी पर विपक्षी ज्वर रोग से पीड़ित होने से न्यायालय में उपस्थित नही हो सका। अनुपस्थिति का वाजिब कारण है। एक तरफा आदेश को निरस्त कर दो तरफा सुनवाई किया जाना विधी एवं न्यायसंगत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उक्त प्रकरण में विपक्षी के विरूद्ध पारित एक तरफा आदेश निरस्त फरमावें। दो तरफा सुनवाई का आदेश प्रदान करावें।

दिनांक 09.01.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त हुई। यह है कि प्रार्थी की आराजी पर पहुंचने के लिए मौके पर व राजस्व रेकॉर्ड में अन्य कोई रास्ता नही हैं। प्रार्थी की आराजी पर पहुंचने के लिए उनके द्वारा मांगा गया रास्ता लघुतम है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी की खाते की 3 बिस्वा बिलानाम से व 3.5 बिस्वा विपक्षीगणो की खातेदारी से भूमि में चाहे गये रास्ते के उपयोग में ली जावेगी। यह है कि प्रार्थी द्वारा मांगे रास्ते हेतु 6.5 बिस्वा भूमि का उपयोग होगा जिसकी डी.एल.सी. दर 176220 प्रति बीघा से 61677 बनती है। दुगुनी दर 123354 रूपये है। बिलानाम से 26433 व विपक्षीगणो से 96921 रूपये है।

दिनांक 30.01.2020 को विपक्षी निर्मल कुमार पिता नेमीचन्द जैन की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया। यह है कि प्रार्थीगण के खाते की आराजी नम्बर 144 पर आने जाने का स्थित होना स्वीकार है। विपक्षी के खाते की आराजी नम्बर 696/126 ग्राम सोनियाणा में स्थित होना स्वीकार है। यह है कि प्रार्थीगण के खाते की आराजी नम्बर 144 पर आने जाने वाले सड़क से होकर आराजी नम्बर 649/126 आराजी नम्बर 650/126 के पश्चिम में स्थित सरकारी भूमि आराजी नम्बर 126 पर होकर आराजी नम्बर 681/126 की उत्तरी मेर पर होकर आते जाते रहे है। आराजी नम्बर 681/126 धीसा पिता कजोड़ बैरवा के खाते व कब्जे की भूमि है। धीसा पिता कजोड़ आवश्यक पक्षकार है। आवश्यक पक्षकार के अभाव में प्रार्थनापत्र चलने योग्य नही है। यह है कि प्रार्थीगण का यह कथन असत्य है कि आराजी नम्बर 144 पर आने जाने का रास्ता 681/126 आराजी नम्बर 126 पर होकर विपक्षी के खाते की आराजी नम्बर 696/126 की दक्षिणी मेर पर स्थित हो। यह है कि प्रार्थीगण ने आराजी नम्बर 144 की पश्चिमी मेर पर आराजी नम्बर 696/126 के समाप्त होने तक डोल व डोल पर थूहर की बाड़ विगत 25–30 सालो से लगी हुई है। विपक्षी की आराजी नम्बर 696/126 पर प्रार्थीगण के खेतो पर आने जाने का रास्ता विगत 25 सालो से कभी [illegible] है। प्रार्थनापत्र अन्दर अवधि नही है। आराजी नम्बर 696/126 और 144 के बीच विगत [illegible] सालो से 3.4 फीट गहरी खाई स्थित है। यह है कि प्रार्थीगण [illegible] रास्ता आराजी नम्बर 126 पर स्थित होकर आराजी [illegible] उत्तरी मेर पर निकाला जाना विधी एवं न्यायसंगत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:28:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

दिनांक 19.10.2020 को विपक्षी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9व10 जा0 दी0 पेश कर निवेदन किया कि मौका पर्चा विपक्षी को बिना सूचित

Scanned with CamScanner

किये विपक्षी की अनुपस्थिति में बनाया गया है। मौका पर्चा विपक्षी द्वारा कथित रास्ते का नही बनाया गया है प्रार्थीगण को विपक्षी द्वारा बताया रास्ता उपलब्ध है। विपक्षी ने ज्वाब प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में वैकल्पिक रास्ता प्लीड किया है। पर्चा मौका बनाया गया है मौके पर डोल व डोल पर थुहर विगत 25–30 सालों से लगी हुई है। पर्चे में नही बताया है मौके पर खाई भी बनी हुई है। विपक्षी की उपस्थिति में विपक्षी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में बताये रास्ता का निरीक्षण कर पर्चा मौका सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार कर मंगाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया कि मौके पर दोनो पक्षों द्वारा किमत अदा करने पर रास्ता दिये जाने में अपनी सहमति दी एवं पटवारी हल्का रलायता द्वारा संधारित मौका पर्चा में हस्ताक्षर करने से मना किया। अतः प्रार्थना पत्र विचार करने योग्य नही होने से अस्वीकार किया जाता है।

दिनांक 20.10.2020 को एक ओर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0 दी0 विपक्षी द्वारा दिया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सुखाधिकार के हनन का है प्रार्थीगण ने विवादित रास्ते की घोषणात्मक आज्ञा का अनुतोष चाहा है रास्ते की घोषणा आज्ञा का प्रार्थना पत्र वादपत्र राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की अनुसूची तृतीय में नही दिया गया घोषणात्मक आज्ञा रास्ता का वादपत्र दीवानी न्यायालय में पोषनीय है प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण चलने योग्य नही है।

उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में धारा 251 ए (2) राजस्थान कास्तकारी अधिनियम खातेदारी भुमि में रास्ता दिये जाने का प्रावधान होकर प्रकरण न्यायालय के क्षैत्राधिकार में है। अतः प्राथना पत्र तथ्यहिन है।

दिनांक 20.10.2020 को पत्रावली पेश हुई। हमने तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट व दस्तावेजों पर मनन व अवलोकन किया। बाद अवलोकन स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि ग्राम सोनियाणा पटवार हल्का रलायता के आराजी संख्या 144 पर पहुँचने के लिए विपक्षीगण कि आराजी संख्या 696/126 में से 13 फीट रास्ता चाहा गया है जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अपनी रिपोर्ट में सहमति प्रदान की गयी है। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए(क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं संशोधित अधिसूचना नम्बर F3(2) rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70(1)(II)(a) के अनुसरण में ग्राम सोनियाणा पटवार हल्का रलायता में प्रार्थी की आराज़ी संख्या 144 पर पहुँचने के लिए विपक्षी संख्या 1 कि आराजी संख्या 696/126 के दक्षिणी मेड़ में से 3.5 बिस्वा भुमि एवं विपक्षी संख्या 2 कि बिलानाम आराजी संख्या 126 में से 3 बिस्वा कुल 6.5 बिस्वा (13 फीट चौड़ाई में) रास्ता हेतु उक्त भूमि की डी.एल.सी. दर 176220 रूपये प्रति बीघा से 61677 रूपये बनती है। दुगुनी दर 123354 रूपये जिसमें बिलानाम भूमि के 26433 रूप्ये एवं अप्रार्थीगण के 96921 रूप्ये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को अदा किए जाने पर एवं अप्रार्थीगण द्वारा इन्कार किये जाने की स्थिति में राजकोष में मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा करवाने पर गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता [illegible] को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता अंक[illegible]

आदेश आज [illegible] लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली [illegible] नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:28:52 IST
Reason: SelfAttested

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner